न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– आरटीए / 149 / 2017

उनवान

1. याकूब खान पुत्र शकूरू खॉ कायमखानी निवासी फूलिया कलॉ, हाल मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. ईसलाम पुत्र शकूरू खॉ कायमखानी निवासी फूलिया कलॉ, हाल मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. मु0 असराक बेवा शकूरू खॉ कायमखानी निवासी फूलिया कलॉ, हाल मेघरास तहसील बनेडा (फौत)
4. मु0 चांद पुत्री शकूरू खां कायमखानी पत्नी अमीर खां निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. मु0 घीसी बानू पुत्री शकूरू खां कायमखानी निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. अब्दुल हनीफ पुत्र लालाजी व्यापारी निवासी फूलियॉकलॉ तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाडा
2. अब्दुल लतीफ पुत्र लालाजी व्यापारी निवासी फूलियॉकलॉ तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाडा
3. अब्दुल आतीफ पुत्र पुत्र लालाजी व्यापारी निवासी फूलियॉकलॉ तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 59 / 1979 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.99

अभिभाषक : 1. श्री रामनिवास गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2.श्री आर सी चेचाणी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 28.06.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1,2,4,5 के पिता व अपीलार्थी संख्या 3 के पति/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की मौजा फूलिया कलां की सरहद में खाता संख्या 689 की आता चाह नम्बर 901 रकबा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 902 रकबा 3 बीघा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता अलाबक्ष जी के हक में 175/—रूपये में रहन रखी थी। उक्त रहन संवत 2011 मे रखी थी। तब से ही उपरोक्त आराजी एवं आता चाह पर बहैसियत मूर्तहीन अलाबक्ष जी काबिज हुए। अलाबक्ष जी का इन्तकाल सन् 1975 में हो गया । उसके बाद अलाबक्ष जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है । जिनका नाम राजस्व रेकार्ड में इन्तकाल नम्बर 1905 दिनांक 4.7.1976 से दर्ज किया गया। इन्तकाल में अजीज का नाम भी दर्ज था परन्तु व लाऔलाद फौत हो गये । उनके भी वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। अलाबक्ष जी के जीवन काल में एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान को वादग्रस्त आराजी का कब्जा वापस देने के लिए कहा दीगर व्यक्तियों से भी कहलवाया परन्तु कब्जा नहीं दे रहे हैं। अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कब्जा किये हुए है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेकार्ड में मूर्तहीन बिल कब्ज का इन्द्राज किया हुआ है उसे हटाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण वादी की मृत्यु होने से उनके वारिसानों को कायम मुकाम दर्ज किया गया तथा बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.99 से वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि .अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीगण को तत्समय जानकारी नहीं हुई थी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब प्रत्यर्थी अब्दुल हनीफ , अब्दुल आतीफ ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियॉकला में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद संख्या 10/2017 संस्थित किया । जिसके सम्मन एवं वाद की प्रति अपीलार्थी का को दिनांक 27.4.2017 को प्राप्त हुए और उक्त वाद में इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.99 का उल्लेख दावे में किया गया तब अपीलार्थी ने दिनांक 28.4.2017 को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा न्यायालय में जानकारी की और भीलवाडा कलेक्ट्री में आकर प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया । निर्णय की प्रति दिनांक 2.5.2017 को प्राप्त हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पिता शकूरू खॉ ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र कब्जेयाबी एवं इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूलियाकलॉ की कृषि आराजी नम्बर 901 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 902 रकबा 3 बीघा, कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार शकुरू खॉ है तथा शकूरू जी ने उक्त भूमि संवत 2011 में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के दादा अल्लाबक्ष पुत्र कालू व्यापारी के यहॉ रहन रखी थी तब से अलाबक्ष काबिज हुआ । अलाबक्ष का इन्तकाल सन् 1975 में हो गया और उनके वारिसान प्रत्यर्थी /प्रतिवादी के पिता व चाचा लाला, गफूर, जब्बार है। उक्त भूमि के खाते में मूर्तहीन बिल कब्ज अलाबक्ष का नाम दर्ज है और अपीलार्थी वादी के पिता ने बागुजास्त करने बाबत काफी ताकीद की परन्तु राहीन कब्ज भूमि अपीलार्थीगण/वादीगण के पिता शकूरू जी को सिपुर्द नहीं कर रहा है। इसलिए राजस्व अभिलेख से राहीन का नाम विलोपित किया जावे । भू प्रबन्ध के बाद वादग्रस्त आराजियात के हाल आराजी नम्बर 3465, 3466, 3467 कायम किये गये हैं ।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने पर 5 तनकियात कायम की गई। जिसमें तनकी नम्बर 5 वाद हेतुक से संबंधित होने से न्यायालय ने कानूनी तनकी मानते हुए वाद समायत बहस दिनांक 30.7.1985 को उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में देते हुए स्वीकार किया कि मामले में वाद हेतुक विद्यमान है। तनकी नम्बर 2 बिकावनामा दिनांक 23.6.1954 के संबंध में थी। इस तनकी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। उक्त तनकी बाबत प्रतिवादी द्वारा गवाह गफूर खां एवं गवाह मदनमोहन पाराशर के बयान कराये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इन दोनों ही गवाहान के बयानों से तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होना नहीं माना था। प्रतिवादीगण का यह कथन था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व दो तरह के दस्तावेज वक्त बेचान बनाने की परम्परा थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबध में बाद विचारण यह पाया था कि वर्ष 1954 में शाहपुरा रियासत अस्तित्व में न होकर तत्समय शासन संयुक्त राजस्थान/वृहत राजस्थान का था। इस प्रकार उक्त तनकी का निष्कर्ष भी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध दिया गया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया । जो अपास्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 3 व 4 की फाईण्डिंग भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध दी गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने उनके जिम्मे की तनकियात को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं कराया है। उसके बावजूद वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया गया है। जो अपास्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.2.1985 तक वादी की साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत रहा और आगामी पेशी दिनांक 19.3.1985 को वादी की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर बंद किये बिना ही प्रकरण को प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत कर दिया गया । जबकि प्रकरण वादी की साक्ष्य में चल रहा था। दिनांक 19.3.1985 को वादी की साक्ष्य फर्द अहकाम पर बिना किसी कारण के अभिलिखित किये वादी की साक्ष्य बंद कर दी गई। जो विधिसम्मत नही है। ऐसी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थिति में अपीलार्थीगण/वादीगण अपनी ओर से साक्ष्य सबूत करने से वंचित रह गये थे।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद के विचारण के दौरान यह कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है जब आवश्यकता होगी आपको बुलवा लिया जायेगा परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार अपीलार्थीगण अपनी ओर से साक्ष्य सबूत करने से वंचित रह गये ।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि वादग्रस्त आराजियात अलाबक्ष व्यापारी के यहॉ रहन रखी गई थी । बिकाव के तथ्य को प्रतिवादी साक्ष्य सबूत से प्रमाणित नहीं करा पाये थे। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के दादा जी शकूरू खां की खातेदारी की भूमि रही है और जब भूमि के खातेदारी अधिकार निर्विवाद हों रहन के तथ्य स्वीकृत हो तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। उसके बाजवूद अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भुगतभोग रहन को बागुजाश्त कराने की कानून मे वर्णित अवधि पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में रहन की राशि अदा किये बिना ही विधि के प्रभाव से उक्त रहन बागुजाश्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बिकाव होने के तथ्य को नहीं माना गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किसी भी तनकी को साबित नहीं कराया गया है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज करने में भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को वादगस्त भूमि से बेदखल कर कब्ज अपीलार्थीगण को दिलाया जावे तथा साबिक आराजी नम्बर 901 एवं 902 जिसके नवीन आराजी नम्बर 3465, 3466, 3467 आराजी किता 3 रकबा 0.7700 हेक्टर के खाते में से मूर्तहीनबिल कब्ज लाला पिता अलाबक्ष हि0 ब0 मुसलमान (व्यापारी) का नाम विलोपित किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1981 पेज 33, डी एन जे 1996 सुप्रिम कोर्ट पेज 281, ए आई आर 1998 एस सी पेज 277 , ए आई एच सी 2001 पेज 2630 एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 43 की उप धारा 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि ग्राम फूलियाकलॉ की कृषि आराजी नम्बर 901 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 902 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार अपीलार्थीगण के पिता शकुरू खॉ जी थे तथा शकूरू जी ने उक्त भूमि संवत 2011 में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के दादा अल्लाबक्ष पुत्र कालू व्यापारी को दिनांक 23.6.1954 को 200/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था। संवत 2011 में शाहपुरा स्टेट में मनकूला जायदाद के बिकाव की रजिस्ट्री नहीं होती थी। इसलिए उस समय आराजियात क्रय करने के लिए दो दस्तावेज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निष्पादित किये जाते थे जिसमें एक दस्तावेज तो रहन नामा एवं एवं दूसरा दस्तावेज विक्रय पत्र निष्पादित किया जाता था जिसमें से रहन नामा की रजिस्ट्री कराई जाती थी एवं एक बिकाव नामा पृथक से निष्पादित किया जाता था। वादग्रस्त आराजी को 200/–रूपये में क्रय की गई थी जिसमें से 175/–रूपये का रहननामा निष्पादित कर उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी एवं 25/–रूपये का बिकावनामा अलग से निष्पादित कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा अलाबक्ष को सिपुर्द किया गया । उक्त विक्रय के आधार पर अलाबक्ष वादग्रस्त भूमि पर बतौर मालिक काबिज हुए । अलाबक्ष का इन्तकाल सन् 1975 में हो गया उसके उपरान्त प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर मालिक काबिज हुए । वादग्रस्त भूमि पर पर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का कोई अवैध कब्जा नहीं है। राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण को बहैसियत मूर्तहीन दर्ज किया गया है वह गलत है।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि एवं कुए को क्रय कर काबिज होने के उपरान्त ही प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर डोल लगवाया एवं वृक्ष लगाये तथा बगीचा भी लगाया । प्रत्यर्थीगण ने पुराने के पास ही एक और दूसरा कुआ यानि बावडी भी बंधवाई एवं मकान भी बनवाया । उक्त सारे काम में जो लागत लगी वह प्रत्यर्थीगण द्वारा ही लगाई गई है। वादग्रस्त आराजियात एवं आता चाह की कीमत बढ जाने से अपीलार्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया । इसलिए प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया जो विधिसम्मत है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त बिकाव दिनांक 23.6.1954 से ही कभी भी किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहा एवं न ही उनका कोई खातेदारी अधिकार ही शेष रहा।ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र मेण्टेनेबल ही नही था। इतनी लम्बी अवधि गुजर जाने के बाद अपीलार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही समाप्त हो चुका था।वादग्रस्त भूमि पर क्रय तिथि से ही अलाबक्ष जी एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रत्यर्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावे के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे। अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय के 18 वर्ष की अत्यधिक लंबी अवधि के उपरान्त अपील प्रस्तुत की है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2017 पेज 122, आर बी जे 2017 पेज 536, डब्ल्यू एल एन (4) 2011 पेज 392 एवं डी एन जे 2014 (1) पेज 405 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही यह भी निवेदन किया कि हालांकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.10.99 में तनकी संख्या 2,3,4 पर निर्णय त्रुटिपूर्ण था परन्तु दावा खारिज होने से हमारे द्वारा दावे की अपील करने की आवश्यकता नहीं रही।अब प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 2017 में खातेदारी अधिकार हेतु प्रस्तुत दावे से बचने के लिए उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है।

15. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

16. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत अपीलार्थीगण के पिता शकूरू खॉ ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र कब्जेयाबी एवं इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूलियाकलॉ की कृषि आराजी नम्बर 901 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 902 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार शकुरू खॉ है तथा शकूरू जी ने उक्त भूमि संवत 2011 में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के दादा अल्लाबक्ष पुत्र कालू व्यापारी के यहॉ रहन रखी थी तब से अलाबक्ष काबिज हुआ । अलाबक्ष का इन्तकाल सन् 1975 में हो गया और उनके वारिसान प्रत्यर्थी /प्रतिवादी के पिता व चाचा लाला, गफूर, जब्बार है। उक्त भूमि के खाते में मूर्तहीन बिल कब्ज अलाबक्ष का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि रहन रखने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भुगतभोग रहन को बागुजाश्त कराने की कानून में वर्णित अवधि पूर्ण हो चुकी है ऐसी स्थिति में रहन की राशि अदा किये बिना ही विधि के प्रभाव से उक्त रहन बागुजाश्त हो चुका है और अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके हैं।

17. वादग्रस्त भूमि दिनांक 23.6.1954 में यानि संवत 2011 में शकूरू खॉ द्वारा अलाबक्ष के यहॉ रहन रखने का कथन अपीलार्थीगण द्वारा किया गया है। उस समय शाहपुरा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रियासत थी । उस समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं हुआ था तथा तत्कालीन समय में कृषि भूमि के बिकाव की रजिस्ट्री कराये जाने का चलन नहीं था। अपीलार्थीगण द्वारा यह तथ्य किसी भी प्रकार से साबित नहीं कराया गया है कि तत्सयम भूमि के बिकाव की रजिस्ट्री हुआ करती हो। तत्कालीन समय में भूमि के बिकाव होने की स्थिति में दो दस्तावेज निष्पादित किये जाते थे जिसमें एक तो बिकाव पत्र निष्पादित किया जाता था एवं एक रहन नामा निष्पादित किया जाता था। जिसमें से रहन नामा की रजिस्ट्री कराई जाती थी एवं साथ में बिकाव नामा भी निष्पादित किया जाता था। अपीलाधीन प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का बिकाव 200/– में किया गया था। इसलिए 175/–रूपये का तो रहन नामा निष्पारित किया गया एवं उसकी रजिस्ट्री कराई गई एवं 25/–रूपये का बिकाव नामा पृथक से निष्पादित किया गया था एवं क्रेता को कब्जा सुपुर्द किया गया था। अपीलार्थीगण का स्वयं का यह कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जाकाश्त नहीं है। उक्त बिकाव 1954 में किया जाकर कब्जा तत्कालीन समय में क्रेता अलाबक्ष को सिपुर्द किया गया था। यदि अपीलार्थीगण के पिता शकुरू खॉ ने वादग्रस्त भूमि रहन रखी थी तो उसे रहन से मुक्त करा कब्जा प्राप्त क्यों नहीं किया गया था। इस बाबत अपीलार्थी ने कोई कथन नहीं किया है एवं न ही इस बाबत कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजियात बाबत अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र 1979 में प्रस्तुत किया गया था। निर्णय दिनांक 20.10.1999 को ही हो चुका था जिसकी अपील 2017 में की गई है। इस प्रकार 18 वर्ष की लम्बी अवधि में शकूरू खॉ द्वारा वादग्रस्त भूमि के निर्णय बाबत जानकारी के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि शकूरू खॉ द्वारा वादग्रस्त भूमि को रहन रखा गया था

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तो फिर बिकाव नामा पृथक से लिखने की आवश्यकता क्यो हुई ? एवं वादग्रस्त भूमि को रहन रखी थी तो उस रहन नामा की रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता क्यों हुई थी ? यह तथ्य भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। वादग्रस्त भूमि पर क्रय के उपरान्त प्रत्यर्थीगण द्वारा डोल डलवाया गया एवं बावडी तथा मकान का निमार्ण कराया गया तो उस समय भी अपीलार्थीगण को उजर करना चाहिये था। अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत न तो अधीनस्थ न्यायालय में कोई विपरीत कथन किया है एवं न ही न्यायालय हाजा में ही प्रत्यर्थीगण द्वारा बावडी के निर्माण किये जाने एवं मकान बनाये जाने तथा डोल जाने के प्रत्यर्थीगण के कथनों का खण्डन ही किया है।इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से गवाह मदनमोहन एवं गफूर खॉ की साक्ष्य कराकर यह प्रमाणित कराया है तत्कालीन समय में शाहपुरा रियासत होने तथा उस समय कृषि भूमि के बिकाव की रजिस्ट्री नहीं होने का कथन करते हुए दो दस्तावेज निष्पादित किये जाने का कथन किया है। उसी अनुसार ही वादग्रस्त भूमि बाबत दो दस्तावेज निष्पादित भी किये गये थे जिसमें प्रथम दस्तावेज 175/—रूपये का रहननामा निष्पादित कर उसकी रजिस्ट्री कराई गई है एवं 25/—रूपये का बिकाव नामा निष्पादित कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिवादीगण द्वारा उनके जिम्मे की तनकीयात साबित नहीं कराये जाने का तथ्य अंकित करते हुए भी वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलार्थीगण द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं वे अपीलाधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.1999 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

19. निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

28/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 149 / 2017

उनवान

1. याकूब खान पुत्र शकूरू खॉ कायमखानी निवासी फूलिया कलॉ, हाल मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. ईसलाम पुत्र शकूरू खॉ कायमखानी निवासी फूलिया कलॉ, हाल मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. मु0 असराफ बेवा शकूरू खॉ कायमखानी निवासी फूलिया कलॉ, हाल मेघरास तहसील बनेडा (फौत)
4. मु0 चांद पुत्री शकूरू खां कायमखानी पत्नी अमीर खां निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. मु0 घीसी बानू पुत्री शकूरू खां कायमखानी निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. अब्दुल हनीफ पुत्र लालाजी व्यापारी निवासी फूलियॉकलॉ तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाडा
2. अब्दुल लतीफ पुत्र लालाजी व्यापारी निवासी फूलियॉकलॉ तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाडा
3. अब्दुल आतीफ पुत्र पुत्र लालाजी व्यापारी निवासी फूलियॉकलॉ तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 59 / 1979 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.99

अभिभाषक : 1. श्री रामनिवास गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/149/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 28.6.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर एन गुप्ता वकील एवं प्रत्यर्थी गण की ओर से श्री रमेश चेचाणी की उपस्थिति मे दिनांक 28.6.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.1999 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

28/6/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस